

प्रथम अपील अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्ध नगर।

25-4-22

विषय :- प्रथम अपील।

अपील विरुद्ध :- राज्य सूचना अधिकारी।
जिला विधालय निरीक्षक
गौतमबुद्ध नगर।
अपीलकर्ता :- साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चेंबर.नं0-789,गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतमबुद्ध नगर
Mob.9899642426

R.T.I-20350
Ref-L.M.(Hg)
App-3482

महोदय,

आवेदक में दिनांक 23/02/2022 को उपरोक्त जन सूचनाअधिकारी से जानकारी मांगी थी लेकिन उन्होंने पूछी गयी सुचना(12/04/2022) की जानकारी नहीं दी बल्कि सुचना को भरामित करने वाली सुचना दी और यह सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन है साथ ही साथ एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। श्रीमान जी से निवेदन है मकी मेरी अपील का निस्तरण करने से पूर्व मुझे सूचित करे।

ऐसी परिस्थिति में आप से अपील है।

1. मांगी गई पूर्ण वह सही सूचना उपलब्ध कराई जाए।
2. जी सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई उन पर इस कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

दिनांक : 25 /04/2022

आवेदक
साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चेंबर.नं0-789,गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतमबुद्ध नगर
Mob.9899642426

संलग्न

- (a) आर.टी.आई आवेदन की प्रतिलिपि
- (b) आर.टी.आई के लिए जमा किए गए पोस्टल आर्डर का नंबर 56F 256930 व प्राप्त रशीद की प्रतिलिपि
- (c) आर.टी.आई के जवाब की प्रतिलिपि

AA. 6M Planning
26/4/22

POSTAL ORDER

मान लाक सूचना / मुख्य कायपालक आधिकारा महादय
टर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

किसे अदा करना
To whom payable

टॉन स्ट्रीट
GNIDA

किस डाकघर में
At what Office

क्या इसे क्रात्त किया है
Whether crossed

पेजने की तारीख
Date sent

चना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध

राए जाने के संबंध में

पि

56F 256937

निवेदन है कि प्रार्थी निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना

चाहता है:-

1. यह की ऐसे किसान जिन्होंने भूमि प्राधिकरण की स्थापना से पहले क्रय की है और वह भूमि विकास हेतु GNIDA ने अधिकृत की थी तथा किसानों को 6% आबादी का भूखंड 2008 में GNIDA द्वारा प्राप्त हो गया था। उसके पुत्र व पुत्री को ग्रेटर नोएडा का मूल निवासी माना जाएगा या नहीं। जबकि उसका हाल निवास GNIDA के क्षेत्र से बाहर का है वह गौतम बुध नगर का निवासी है।
2. यदि किसी व्यक्ति को GNIDA द्वारा अधिकृत क्षेत्र का मूल निवासी मानकर 2008 में आवास हेतु 6% भूमि दी गई थी जो कि उसकी भूमि अधिग्रहण करने के एवज में दी गई थी उसके पुत्र व पुत्री को जी GNIDA का मूल निवासी माना जाएगा या नहीं।

प्रार्थी नियमानुसार भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 56F 256937 के माध्यम से अंकन ₹10 शुल्क अदा कर रहा है। यदि किसी प्रकार के शुल्क की कमी रहती है तो उसे भी नियम अनुसार अदा किया जाएगा।

दिनांक: 23/2/2022

प्रार्थी

साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चैंबर. नं 0-789, गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतम बुध नगर
mob. 9899642426

Recd. by
23/2/2022
Post Box No. 56F
Gautam Budh Nagar
U.P.
Date 23/2/2022
Time 10 AM

1972/

पत्रांक:नियो०/आर०टी०आई०/2022/1076
दिनांक.....12/4/2022

सेवा में,

श्री साहिल चौधरी एडवोकेट
चैम्बर नं०-789, गली नं०-22
जनपद न्यायालय सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के आर०टी०आई० पत्र संख्या-20350 के सम्बन्ध में।

कृपया अपने आर०टी०आई० पत्र दिनांक 08.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा सूचना हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-1 प्रारंभिक-1 की धारा 2(च) के अन्तर्गत सूचना से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र नमुने, माडल, आंकड़ो संबंधी समाचारी और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित सेसी सूचना सहित जिस तक तत्स्यम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।

सहा० जन सूचना अधिकारी
नियोजन अनुभाग

प्रतिलिपि: नोडल अधिकारी सी०आर०सेल० को आर०टी०आई० निस्तारण के सम्बन्ध में।

सहा० जन सूचना अधिकारी

प्रत्र नाइडा जाधागक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्ध नगर।

विषय :- प्रथम अपील।

अपील विरुद्ध :- राज्य सूचना अधिकारी।

जिला विधालय निरीक्षक
गौतमबुद्ध नगर।

अपीलकर्ता :- साहिल चौधरी (एडवोकेट)

चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतमबुद्ध नगर
Mob.9899642426

P.T.I. 20360
Pet-3486
26.4.22

महोदय,

आवेदक में दिनांक 14/02/2022 को उपरोक्त जन सूचनाअधिकारी से जानकारी मांगी थी लेकिन उन्होंने पूछी गयी सुचना की जानकारी नहीं दी बल्कि सुचना को भरामित करने वाली सुचना दी और यह सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन है साथ ही साथ एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। श्रीमान जी से निवदेन है मकी मेरी अपील का निस्तरण करने से पूर्व मुझे सूचित करे।

ऐसी परिस्थिति में आप से अपील है।

1. मांगी गई पूर्ण वह सही सूचना उपलब्ध कराई जाए।
2. जी सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई उन पर इस कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

दिनांक : 25 /04/2022


आवेदक

साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतमबुद्ध नगर
Mob.9899642426

AA. SDM land
फू
26/4/22

संलग्न

- (a) आर.टी.आई आवेदन की प्रतिलिपि
- (b) आर.टी.आई के लिए जमा किए गए पोस्टल आर्डर का नंबर 54F 431324 व प्राप्त रशीद की प्रतिलिपि
- (c) आर.टी.आई के जवाब की प्रतिलिपि


ग्रेटर नोएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा,
जनपद- गोतम बुद्ध नगर।

पत्रांक:- ५६९/भूलेख/ज०स०/2022

दिनांक:- ०८/०४/२०२२

सेवा में,

श्री साहिल चौधरी (ईडवोकेट),
चैम्बर नं० ७८९, गली नं०- २२,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सूरजपुर,
गौतम बुद्ध नगर।


विषय:- जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र संख्या- 20300 दिनांक 16.02.2022 संबंध में।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संख्या- 20300 में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या- 01 पर आपके द्वारा चाही गई सूचना ग्रेटर नौएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों पात्रता निर्धारित भूखण्डों के प्रकरणों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर अपलोड कर दी गई है, जिसको किसी भी व्यक्ति द्वारा अवलोकित किया जा सकता है। बिन्दु संख्या- 02 पर आपके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है की प्रश्न का उत्तर दिया जाना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राविधानित नहीं है।

यदी इसके पश्चात भी प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी कार्यदिवस में भूलेख विभाग में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

तदनुसार सूचित होने का कष्ट करें।


लेखपाल


तहसीलदार/

जन सूचना अधिकारी, भूलेख

प्रतिलिपि:- नोडल अधिकारी, जन सूचना, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार/
जन सूचना अधिकारी, भूलेख

पोस्टल ऑर्डर

₹ 10

POSTAL ORDER

किसे लक्ष्य करा
To whom payable

लॉक सुचना
Lock SuChNa

उमीदावा
Umidaava

जी. नीडा
G.N.I.D.A.

किस डाकघर में
At what Office

इसे छापा दिया है
Whether crossed

पेजने की तारीख
Date sent

14-2-2022

श्रीमान लोक सूचना / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना
उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

1 जी,

54F 431321

निवेदन है कि प्रार्थी निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना


चाहता है:-

1. यह की जो व्यक्ति गजराज बनाम सरकार (2011) आदि के वाद में व अन्य किसी वाद में न्यायालय नहीं गए थे और उन्हें 4%, 6%, 8% व 10% आवास के लिए विकसित भूखंड ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए हैं उनके नाम, खसरा संख्या तथा पते उपलब्ध कराएं।
2. यह की जो व्यक्ति 1976 से या इससे पहले से गौतम बुध नगर में निवास कर रहा है तो उसे ग्रेटर नोएडा का मूल निवासी माना जाएगा या नहीं यदि नहीं तो क्यों ?

प्रार्थी नियमानुसार भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 54F 431324 के माध्यम से अंकन ₹10 शुल्क अदा कर रहा है। यदि किसी प्रकार के शुल्क की कमी रहती है तो उसे भी नियम अनुसार अदा किया जाएगा।

दिनांक: 14/02/2022


प्रार्थी
साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चैंबर. नं 0-789, गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतम बुध नगर
mob. 9899642426



प्रथम अपील अंतर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सेवा मे,

प्रथम अपील अधिकारी

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्ध नगर।

30468

29-4-22

S.D.M (Land)

APP - 3593

02-5-2022

P.F. S.D.M Land

AP 215 | 22

विषय :- प्रथम अपील।

अपील विरुद्ध :- राज्य सूचना अधिकारी।

जिला विधालय निरीक्षक
गौतमबुद्ध नगर।

अपीलकर्ता :- साहिल चौधरी (एडवोकेट)
चैंबर. नं 0-789, गली नंबर 22
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर
गौतमबुद्ध नगर
Mob. 9899642426

महोदय,

आवेदक में दिनांक 07/04/2022 को उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी लेकिन उन्होंने पूछी गयी सुचना (19/04/2022) की जानकारी नहीं दी बल्कि यह कह कर की चाही गयी सुचना को प्रश्नवाचक प्रारूप है इस लिए इसका जवाब देने से मना कर दिया जब की प्रश्नवाचक प्रारूप में कोई सुचना नहीं मांगी गयी थी जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जानकारी मांगी गयी है। यह सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन है साथ ही साथ एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। श्रीमान जी से निवेदन है की मेरी अपील का निस्तारण करने से पूर्व मुझे सूचित करे।

ऐसी परिस्थिति में आप से अपील है।

1. मांगी गई पूर्ण वह सही सूचना उपलब्ध कराई जाए।
2. जिस सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई उन पर इस कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

दिनांक : 27 /04/2022

आवेदक S.D.M

साहिल चौधरी (एडवोकेट)

चैंबर. नं 0-789, गली नंबर 22

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर

गौतमबुद्ध नगर

Mob. 9899642426